

पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड

11 अक्टूबर 2007

{एस.बी.सिंहा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.}

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1948: एसएस, 11, 21-
पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 5-1/2 वर्ष के बाद कारण बताओ नोटिस जारी
किया-उच्च न्यायालय ने समय-वर्जित के कारण इसे रद्द कर दिया-अपील
पर, आयोजित: पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए कोई सीमा अवधि
निर्धारित नहीं है कानून-इसलिए, पुनरीक्षण प्राधिकारी को उचित समय के
भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है- प्राधिकरण ने इस बारे में
कोई कारण नहीं बताया कि नोटिस लंबे विलंब के बाद क्यों जारी किया
गया था- उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आदेश को उचित रूप से अस्थिर
माना।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226-रिट याचिका- यदि प्रश्न
परिसीमा से संबंधित है, तो उसे बनाए रखा जा सकता है, यह एक
क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न है।

31-03-2000 को समाप्त वर्ष के मूल्यांकन के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा 20.03.2001 को दाखिल रिटर्न के आधार पर मूल्यांकन कायवाही पूरी की गई। निर्विवाद रूप से, पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अनुसार रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एफ से मूल्यांकन पूरा करने के लिए तीन वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित की गई है।

पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-सहायक उत्पाद एवं कराधान कमिश्नर ने 04.09.2006 को एक नोटिस जारी कर यह कारण बताया कि धारा 21(1) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई इस आधार पर क्यों न की जाए कि मूल्यांकन के क्रम में “ अवैधताएं, अनियमितताएं और अनौचित्य“ पाए गए थे। दिनांक 20.03.2001, कारण दिनांक 14.09.2006 को दर्शाया जाना था। प्रतिवादी न तो पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही कोई कारण बताओ दायर किया। इसके बजाय मूल्यांकन किए गए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि मूल्यांकन का आदेश 20.03.2001 को पारित किया गया था और जैसा कि 04.09.2006 को नोटिस जारी करके संशोधित करने की मांग की गई थी, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अभ्यास को उचित ठहराए बिना कोई कारण बताए, यह पूरी तरह से कानून में अस्थिर था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण के स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और चूंकि यह प्रतिवादी के लिए सभी विवादों को पुनरीक्षण के समक्ष उठाने के लिए खुला था। स्वयं प्राधिकरण और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. प्रतिवादी माल की बिक्री टर्नओवर और खरीद टर्नओवर दिखाते हुए मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष त्रैमासिक रिटर्न के अनुसार बिक्र कर अधिनियम के तहत रिटर्न के अनुसार बिक्री कर और खरीद पर खरीद कर जमा करने का प्रावधान है। यह निर्धारिती पर दूध की खरीद पर खरीद कर जमा करने का कर्तव्य डालता है जिसका उपयोग कर-मुक्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जैसा कि संलग्न अनुसूची में दिया गया है। प्रतिवादी ने 31.03.2000 को समाप्त वर्ष के लिए सभी तिमाहियों के लिए रिटर्न दाखिल किया और मूल्यांकन कार्यवाही 28.03.2001 को पूरी हो गई। [पैरा 12] [20-ई-एफ]

2.1. पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उपधारा(1) में तीन साल की सीमा का प्रावधान है। धारा 11 की उपधारा (3)- तीन साल की सीमा का प्रावधान करती है। धारा 11 आर की उपधारा(6) जो कि अवशिष्ट प्रावधान है, पांच साल की सीमा का प्रावधान करती है। [पैरा 14] [20-एच; 21 ए]

2.2. धारा 11 की उप-धारा(1) आयुक्त को मूल्यांकन के आदेश पारित करने के लिए तीन साल की अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है, जिसके लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है, हालांकि अधिकतम पांच साल की अवधि तक। इसलिए, आमतौर पर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की गई है। ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन आदेश की समीक्षा की जानी है, उसे एक वर्ष की अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [21-बी]

3. अधिनियम की धारा 21 को पढ़ने से पता चलेगा कि यद्यपि इसके लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। [पैरा 16] [21-सी]

4. यह सामान्य बात है कि यदि कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो वैधानिक प्राधिकारी को उचित अवधि के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि उचित अवधि क्या होगी यह कानून की प्रकृति उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। [पैरा 17] [21-डी]

5. उक्त अधिनियम के संदर्भ में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग आम तौर पर तीन साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित नहीं कहा जा सकता। उचित अवधि वैधानिक योजना से ज्ञात की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा(6) में प्रदान की गई सीमा अधिकतम अवधि पांच वर्ष है। [पैरा 18] [21-ई-एफ]

उड़ीसा राज्य बनाम देबाकी देबी एवं अन्य एआईआर(1964) एससी 1413; एस.बी. गुरबखश सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1976) 37 एसटीसी 425 एवं बिक्री कर आयुक्त, उड़ीसा एवं अन्य विरुद्ध मैसर्स. हलारी स्टोर आदि, [1997] 7 एससीसी 715, संदर्भित।

6. दिनांक 04.09.2006 को लागू किए गए नोटिस के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने कोई कारण नहीं बताया कि 5 , 1/2 वर्षों की अवधि के बाद ऐसा नोटिस क्यों जारी किया जा रहा था।

[पैरा 22] [23-बी]

7. परिसीमा का प्रश्न क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न होने के कारण रिट याचिका सुनवाई योग्य थी। [पैरा 23] [23-सी]

8. आमतौर पर रिट अदालत केवल नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाले रिट आवेदन पर विचार नहीं करेगी, खासकर, जब रिट याचिकाकर्ता के पास अधिनियम के तहत एक प्रभावी उपाय होगा। हालाँकि यह मामला एक अलग सवाल खड़ा करता है। प्राधिकरण कानून का एक प्राणी होने के नाते, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगा कि अधिनियम की धारा 21(1) के संदर्भ में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उचित अवधि क्या होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई न्यायिक त्रुटि की है। [पैरा 24] [23-डी-ई]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4808/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सी.डब्ल्यू.पी. 2006 की संख्या 15477 में निर्णय/आदेश दिनांक 22.12.2006 से।

अपीलाकर्ताओं की ओर से अजयपाल, प्रीति सिंह और शुक्ला।

प्रतिवादी की ओर से पी0 एस 0 पटवालिया, अमनप्रीतसिंह राही, देवेश त्रिपाठी और जगजीत सिंह छाबड़ा।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट के तहत मूल्यांकन के आदेश को फिर से खोलने के लिए उचित अवधि क्या होनी चाहिए, इस अपील में प्रश्न शामिल है जो उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 22.12.2006 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है। 2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15477 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के जिसके तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण-सह-सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, भटिंडा द्वारा जारी 04.09.2006 के नाटिस के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई प्रतिवादी को भटिंडा की अनुमति दी गई।

3. उक्त प्रश्न पर विचार करने से पहले, हमें मामले के मूल तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं।

4. प्रतिवादी यहाँ दुग्ध संघ का एक संघ है। यह पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। यह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों

के तहत एक डीलर के रूप में भी पंजीकृत है। यह पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, चंडीगढ़ के नियंत्रण में दुध संयंत्र चला रहा है। अधिनियम दुध पर खरीद कर लगाने का प्रावधान करता है। जब माल के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदा जाता है जो उसकी अनुसूची सी में निर्दिष्ट है। दुध जब कर मुक्त वस्तुओं के अलावा किसी अन्य वस्तु के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदा जाता है तो खरीद कर लगाने का प्रावधान है।

5. 31.03.2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के मूल्यांकन के संबंध में, अपीलकर्ता द्वारा 20.03.2001 को दाखिल रिटर्न के आधार पर मूल्यांकन कार्यवाही पूरी की गई। निर्विवाद रूप से, 1948 अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से मूल्यांकन पूरा करने के लिए धारा 11 की उप-धारा(3) के तहत निहित सीमा अवधि के रूप में तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। धारा 11 की उपधारा (6) इस प्रकार है:

“यदि उसके पास आई जानकारी के आधार पर, निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई भी डीलर किसी भी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, तो निर्धारण प्राधिकारी, पांच साल के

भीतर ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद, डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, ऐसी अवधि और सभी बाद की अवधि के संबंध में डीलर से देय कर की राशि, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए आगे बढ़ें और ऐसे मामले में जहां ऐसा डीलर जानबूझकर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, मूल्यांकन प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि डीलर को इस प्राकर निर्धारित राशि के अलावा, जुर्माना के रूप में एक राशि का भुगतान करना होगा। उस राशि से डेढ़ गुना से अधिक।”

उक्त अधिनियम की धारा 21 में पुनरीक्षण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 21, जिससे हम संबंधित हैं, इस प्रकार है;

“21 संशोधन-(1) आयुक्त स्वयं ही वैधता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड मांग सकता है जो पहले से लंबित है, या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा निपटाया गया हैं। ऐसी कार्यवाही या उसमें दिए गए आदेश का औचित्य और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को उप-धारा(1) के तहत आयुक्त की शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधिन और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रयोग करने के लिए प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) एक न्यायाधिकरण, एक आदेश के खिलाफ किए गए आवेदन पर उप-धारा(1) के तहत आयुक्त, आदेश के संचार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, ऐसे मामले के रिकार्ड को मंगा सकता है और उसका परिक्षण कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(4) इस धारा के तहत प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।”

6. प्राधिकरण ने प्रतिवादी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि अधिनियम की धारा 21(1) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई इस आधार पर क्यों न की जाए कि “अवैधताएं, अनियमितताएं और अनौचित्य” पाए गए हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है। मूल्यांकन आदेश

दिनांक 20.03.2001, कारण दिनांक 14.09.2006 को दर्शाया जाना था। प्रतिवादी न तो पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही कारण बताओ दायर किया।

7. इस पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करना।

- i. उत्तरदाताओं से मामले के रिकॉर्ड मांगने और समय बाधित के रूप में नोटिस (अनुलग्नक पी 1) को रद्द करने के लिए सर्टिओरी ;बमतजवतंतपद्ध प्रकृति की एक रिट।
- ii. अधिनियम की धारा 21(1) के तहत संशोधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस में प्रस्तावित खरीद कर को लगाने, एकत्र करने और वसूली करने से उत्तरदाताओं की संख्या 2 को रोकने निषेधाज्ञा की प्रकृति एक रिट।
- iii. कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

8. अपीलकर्ता ने विरोध में अपने हलफनामे में प्रारंभिक आपत्ति ली कि उक्त रिट याचिका समय से पहले थी और इस प्रकार, केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह

तर्क दिया गया कि उत्तरदाता पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष रिट याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं को लेने के हकदार होंगे।

9. उच्च न्यायालय ने, कुछ उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, राय दी कि मुल्यांकन के आदेश 20.03.2001 को पारित किया गया था और चूंकि पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार के अभ्यास को उचित ठहराने के लिए कारण बताये बिना, दिनांक 04.09.2006 को नोटिस जारी करके इसे संशोधित करने की मांग की गई, यह कानून की नजर में पूरी तरह से अस्थिर था।

10. इस अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आपेक्षित निर्णय पारित करने में एक गंभीर अवैधता की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि कोई समय सीमा नहीं है। पुनरीक्षण प्राधिकारी के स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए तय किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया चूंकि यह प्रतिवादी के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष सभी विवादों को उठाने के लिए खुला था। यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

11. पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम कुछ वस्तुओं पर खरीद कर लगाने का प्रावधान करता है जो उसमें अनुसूची सी में निर्दिष्ट है; प्रविष्टि क्रमांक 13 इस प्रकार है:

"दूध जब किसी सामान के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदा जाता है बिक्री के लिए कर मुक्त वस्तुओं के अलावा।"

12. प्रतिवादी निर्विवाद रूप से माल की बिक्री टर्नओवर और खरीदा दिखाते हुए मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर रहा है। उक्त प्रावधान के तहत, रिटर्न के अनुसार बिक्री कर और खरीद कर जमा करने का प्रावधान है। यह निर्धारिती पर दूध की खरीद पर खरीद कर जमा करने का कर्तव्य रखता है, जिसका उपयोग कर-मुक्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जैसा कि संलग्न अनुसूची में प्रदान किया गया है। यह न तो संदेह में है और न ही विवाद में है कि प्रतिवादी ने 31.03.2000 को समाप्त वर्ष के लिए सभी तिमाहियों के लिए रिटर्न दाखिल किया। यह भी माना जाता है कि मूल्यांकन की कार्यवाही 28.03.2001 को पूरी हो गई थी।

13. निर्विवाद रूप से, मूल्यांकन का आदेश पारित करते समय मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा खातों की पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखा गया था।

14. धारा 11 की उपधारा (1) में तीन साल की सीमा का प्रावधान है। हम देख सकते हैं कि परिसीमा की उक्त अवधि 1998 के पंजाब अधिनियम संख्या 12 के कारण शुरू की गई थी और उससे पहले की अवधि इसके लिए पांच साल का समय निर्धारित किया गया था। धारा 11 की उपधारा (3) में तीन साल की सीमा का प्रावधान है।

धारा 11 की उपधारा (6) जो कि अवशिष्ट प्रावधान है, पांच वर्ष की सीमा का प्रावधान करती है।

15. धारा 11 की उप-धारा (1) आयुक्त को मूल्यांकन के आदेश पारित करने के लिए तीन साल के अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है, अधिकतम पांच साल की अवधि तक। इसलिए, आमतौर पर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन पूरा करने के लिए तीन साल अवधि निर्धारित की गई है। हम यह भी देख सकते हैं कि जिन मामलों में मूल्यांकन आदेश की समीक्षा की जानी है, वह एक वर्ष की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

16. अधिनियम की धारा 21 को पढ़ने से पता चलेगा कि यद्यपि इसके लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है।

17. यह मामूली बात है कि यदि कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। वैधानिक प्राधिकारी को एक उचित अवधि के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, हालांकि, उचित अवधि क्या होगी यह कानून की प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा।

18. हमारी राय में, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग आम तौर पर उक्त अधिनियम के संदर्भ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तीन साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित नहीं कहा जा सकता। इससे पहले की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए वैधानिक योजना से उचित अवधि का पता लगाया जाना चाहिए। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) में प्रदान की गई सीमा की अधिकतम अवधि पांच वर्ष है।

19. उड़ीसा राज्य बनाम देबाकी देबी और अन्य में रिपोर्ट की गई एआईआर (1964) एससी 1413, धारा 12(6) जी के प्रावधानों की व्याख्या पर उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 के तहत, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए 36 महीने का समय सीमा की अवधि माना जाता था।

20. एस.बी. गुरबखश सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य..(1976) 37 एसटीसी 425, उंटवालिया जे. ने बेंच की ओर से बोलते हुए कहा:

“अपीलकर्ता के चौथे और अंतिम निवेदन को स्वीकार करते हुए, यह कहना पर्याप्त है कि यह मानते हुए भी कि अनावश्यक रूप से लंबे विलंब के बाद पुनरीक्षण शक्ति का स्वतः उपयोग नहीं किया सकता है। इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया गया था। भीतर सहायक आयुक्त द्वारा अपीलीय आदेश पारित होने के कुछ महीनों के बाद, आयुक्त ने उक्त आदेश को संशोधित किया। आयुक्त द्वारा कोई असम्यक या अनुचित देरी नहीं की गई थी। यहां यह कहा जा सकता है कि अपील दायर की जानी है एक निर्धारित समय के भीतर एक निर्धारिती द्वारा और इसलिए निर्धारिती के लिए पुनरिक्षण में आगे बढ़ने के लिए एक समय-सीमा भी अपीलीय या पुनरिक्षण शक्तियों का उचित समय में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह अच्छी तरह

से हो सकता है कि पुनरिक्षण की स्वतः प्रेरणा शक्ति के प्रयोग के लिए भी, पुनरिक्षण प्राधिकारी को उचित समय के भीतर कार्यवाही शुरू करनी होगी। अभ्यास में कोई भी अनुचित देरी इसकी वैधता को प्रभावित कर सकती हैं। हालाँकि, उचित समय क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।”

21. हमारा ध्यान बिक्री कर आयुक्त, उड़ीसा एवं अन्य बनाम मैसर्स मामले में एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। हलारी स्टोर आदि (ख्1997) 7 एससीसी 715, जिसमें इस न्यायालय ने उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों पर विचार करते हुए कहा:

"....लेकिन, यह वह स्थिति नहीं है जहां आयुक्त एक अपीलीय आदेश को संशोधित करने के लिए अपनी स्वतः प्रेरणा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम में आने वाले शब्द " अपने स्वयं के प्रस्ताव पर" विधायिका के परंतुक में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं किसी डीलर या व्यक्ति के अनुरोध पर लागू किए गए अपीलीय आदेश को संशोधित करने के लिए बिक्री कर आयुक्त के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है, जब ऐसे डीलर या व्यक्ति के पास अपील के माध्यम से कोई उपाय हो। जैसा कि पहले देखा

गया है, स्वतः संज्ञान पर सीमा अपीलीय आदेश को संशोधित करने के लिए आयुक्त की स्वतः प्रेरणा शक्ति को परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति प्रावधान के अभाव में, अपीलीय आदेश को संशोधित करने के लिए आयुक्त की स्वतः प्रेरणा की शक्ति पर कोई सीमा निहित नहीं की जा सकती है। हम तदनुसार मानते हैं कि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 4ए के परंतुक के प्रावधान निषेध नहीं करते हैं, अपीलीय आदेश को संशोधित करने के लिए आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए पुररिक्षण शक्ति का प्रयोग करेंगे।”

22. यह प्रश्न कि उचित अवधि क्या होगी, उस पर विचार नहीं किया गया। इस न्यायालय की बाध्यकारी मिसाल, जिनमें से कुछ का उल्लेख हमें पहले किया गया था, पर विचार नहीं किया गया था। पक्षों की ओर से पेश वकील इस अदालत के संज्ञान में इसे लाने में लापरवाही बरत रहे थे। इसके अलावा, दिनांक 04.09.2006 के आक्षेपित नोटिस के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया कि ऐसा नोटिस साढ़े पांच साल की अवधि के बाद क्यों दिया जा रहा था ।

23. परिसीमा का प्रश्न क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न होने के कारण रिट याचिका सुनवाई योग्य थी।

24. हालाँकि, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि आमतौर पर वांछित अदालत केवल नोटिस वैधता पर सवाल उठाने वाले रिट आवेदन पर विचार नहीं करेगी, खासकर, जब रिट याचिकाकर्ता के पास अधिनियम के तहत एक प्रभावी उपाय होगा। हालाँकि, यह मामला एक अलग सवाल खड़ा करता है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कानून का एक प्राणी होने के नाते, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगा कि अधिनियम की धारा 21 (1) के संदर्भ में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उचित अवधि क्या होगी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भी यह कहा। कुछ बाध्यकारी मिसालों का उल्लेख किया गया है जो क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई न्यायिक त्रुटि की हैं।

25. अतः, मामले में कोई योग्यता नहीं है तदनुसार इसे खारिज किया जाता है, कोई, लागत नहीं।

डी.जी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ब्रजेश कुमार-। (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।